<u>**मूल हिंदी में**</u>

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3405
16.12.2024 को उत्तर के लिए

बाघ का हमला

3405. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिरडी संसदीय क्षेत्र में बाघ के हमले के कारण लोगों के बीच भय का माहौल है तथा ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा महाराष्ट्र राज्य में उक्त हमलों में घायल/मृत लोगों की संख्या का जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने बाघ के हमले की समस्या के समाधान तथा स्थानीय लोगों को इससे राहत प्रदान करने के लिए बाघ को पकड़ने तथा उसे राज्य के चंद्रपुर जिले में ताडोबा अंधारी बाघ अभयारण्य क्षेत्र या किसी अन्य बाघ अभयारण्य में छोड़ने के लिए कोई कदम उठाया है अथवा उठाने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय राज्य मंत्री:
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मानव-वन्यजीव के बीच अप्रिय घटनाओं की बारंबारता को नियंत्रित किया गया है तथा कुछ क्षेत्रों में इन घटनाओं में हुई मामूली वृद्धि, इधर-उधर विचरण करते हुए वन्य जीवों के साथ आकस्मिक मुठभेड़ों के कारण हुई है।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, वर्ष 2024 (30.6.2024 तक की स्थिति के अनुसार) के दौरान बाघों के कारण होने वाली मानव मृत्यु का ब्यौरा (बाघ रिजर्व-वार/डिवीजन-वार) निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	राज्य	बाघ रिजर्व/डिवीजन	मानव मृत्यु की संख्या
1	महाराष्ट्र	गडचिरोली	3
		अलापल्ली	2
		सेंट्रल चंदा	1
		ब्रम्हपुरी	4
		बल्हारशाह	3
		नागपुर टीआर डिवीजन	1
		भंडारा	1
		बीओआर	1
		सह्याद्री	0
		मेलघाट	0
		पेंच	2
		नवेगांव नागजीरा	0
		तडोबा अंधारी	4
कुल			**22**

(ख) और (ग); महाराष्ट्र राज्य सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से मानव-वन्यजीव के बीच अप्रिय घटनाओं के प्रबंधन के लिए निम्नलिखित तीन-आयामी कार्यनीति का समर्थन किया है:-

(i) **सामग्री एवं संभार तंत्र संबंधी सहयोग :** वर्तमान में संचालित केंद्रीय प्रायोजित स्कीम-बाघ परियोजना के माध्यम से स्रोत क्षेत्रों से बाहर आने वाले बाघों से निपटने हेतु बाघ रिजर्वों को अवसंरचना और सामग्री की दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बाघ रिजर्वों द्वारा प्रति वर्ष वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38v के तहत अधिदेशित समावेशी बाघ संरक्षण योजना (टीसीपी) के अंतर्गत प्रतिवर्ष एक वार्षिक प्रचालन योजना (एपीओ) के माध्यम से इस वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है। अन्य बातों

के साथ-साथ, आमतौर पर अनुग्रह राशि और मुआवजे के भुगतान, मानव-पशु संघर्ष के संबंध में आम जनता को जागरूक बनाने, उनका मार्गदर्शन करने एवं उन्हें परामर्श देने हेतु आवधिक जागरूकता अभियानों, विभिन्न प्रकार के संचार माध्यमों से सूचना के प्रसार, स्थिरीकरण उपकरण एवं दवाइयों की खरीद, संघर्ष की घटनाओं से निपटने हेतु वन कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण आदि जैसे कार्यकलापों के लिए सहायता की मांग की जाती है।

(ii) **पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित करना :** किसी बाघ रिजर्व में बाघों की वहन क्षमता के आधार पर, एक समावेशी बाघ संरक्षण योजना(टीसीपी) के माध्यम से पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाता है। बाघों की संख्या वहन क्षमता के स्तरों पर होने के मामले में यह सलाह दी जाती है कि पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को सीमित किया जाना चाहिए ताकि बाघों सहित अन्य वन्यजीवों का अधिक संख्या में पर्यावास से बहिर्गमन को रोका जा सके जिससे मानव-पशु संघर्ष में कमी लाई जा सके। इसके अलावा, बाघ रिजर्वों के आस-पास के बफर क्षेत्रों में पर्यावास के अंतर्गत कार्यकलापों को इस प्रकार सीमित किया जाता है कि वे प्रमुख/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास क्षेत्रों की तुलना में इष्टतम स्तर से कम हो और अन्य समृद्ध पर्यावास क्षेत्रों तक ही बाघों के आवागमन में सुविधा प्रदान करने हेतु उचित हो।

(iii) **मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) :** मानव-पशु संघर्ष से निपटने हेतु राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने निम्नलिखित तीन एसओपी जारी की हैं जो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं :

- मानव बहुल भू-क्षेत्रों में बाघों के भटक जाने के कारण उत्पन्न आपातकाल की स्थिति से निपटना
- बाघों द्वारा मवेशियों पर हमले की घटनाओं से निपटना
- स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के लिए भू-दृश्य स्तर पर सक्रिय प्रबंधन करना।

इन तीन मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, संघर्ष में कमी लाने हेतु पर्यावासों से बाहर आने वाले बाघों को प्रबंधित करने, मवेशियों के मारे जाने को प्रबंधित करने के साथ-साथ समृद्ध क्षेत्रों में संघर्ष रोकने हेतु बाघों को स्रोत क्षेत्रों से बाघों की कम संख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में विस्थापित करने संबंधी मुद्दे शामिल है।

इसके अलावा, बाघ संरक्षण योजनाओं के अनुसार, वन्यजीव पर्यावास की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु आवश्यकता आधारित और स्थल-विशिष्ट प्रबंधन कार्यकलाप किए जाते हैं जिसके लिए विद्यमान केंद्रीय प्रायोजित स्कीम- वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास के तहत निधि प्रदान की जाती है।

*****